

an>

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970:-

- (1) The Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. 11-76/2016-Unani (U.G. Regl.) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (2) The Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Ayurveda Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 published in Notification No. 28-15/2016-Ay.(MSR) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (3) The Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Siddha Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 published in Notification No. 18-12/2016-Siddha(M.S.R.) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (4) The Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016 published in Notification No. 11-77/2016-Unani(P.G. Regl.) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (5) The Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in India Medicine) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. 18-12/2016-Siddha(Syllabus UG) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (6) The Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. 24-14/2016- (U.G. Regulation) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (7) The Indian Medicine Central Council (Post Graduate Ayurveda Education) Regulations, 2016 published in Notification No. 4-90/2016-P.G. Regulation in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (8) The Indian Medicine Central Council (Requirements of Minimum Standard for under-graduate Unani Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2016 published in Notification No. 11-134/2016-Unani (MSR) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.
- (9) The Indian Medicine Central Council (Post-graduate Siddha Education) Regulations, 2016 published in Notification No. 18-12/2016-Siddha (Syllabus PG) in Gazette of India dated 7<sup>th</sup> November, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 6528/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम (दौर पर गए कर्मचारियों को दैनिक भत्ता तथा होटल प्रभार) संशोधन नियम, 2016 जो 14 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1136(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम (पर्यवसित विकास अधिकारियों की पुर्नियुक्ति) संशोधन नियम, 2016 जो 21 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1162(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय जीवन बीमा निगम (संशोधन) विनियम, 2016 जो 6 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-13011/02/2015/बीमा-। में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6529/16/17]

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखों।

[Placed in Library, See No. LT 6530/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलरते): उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) नियम, 2017 जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 57(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 6531/16/17]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गुड़गांव के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
[Placed in Library, See No. LT 6532/16/17]
- (3) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में दूरे वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
[Placed in Library, See No. LT 6533/16/17]
- (4) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना सं. 1-सीए(7)/ 179/2017 जो 9 फरवरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों के रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए शुल्क की दरें, वार्षिक सदस्यता शुल्क, वार्षिक व्यवसाय शुल्क प्रमाणपत्र तथा सदस्यों के रजिस्टर में नाम का पुनःस्थापन शुल्क अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
[Placed in Library, See No. LT 6534/16/17]
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की नियुक्ति, वेतन तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2017 जो 18 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।  
[Placed in Library, See No. LT 6535/16/17]
- (6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 41)- राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-सेवा कर)।  
[Placed in Library, See No. LT 6536/16/17]
- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 40) (निष्पादन लेखापरीक्षा) - एयर इंडियर लिमिटेड, नागर विमानन मंत्रालय की टर्न अराउण्ड योजना तथा वित्तीय पुनर्गठन योजना।  
[Placed in Library, See No. LT 6537/16/17]
- (तीन) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (रेल) (2016 का संख्यांक 37)- रेल वित्त।  
[Placed in Library, See No. LT 6538/16/17]
- (चार) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2016 का संख्यांक 1)- राजस्व विभाग-सीमा शुल्क (अनुपालन लेखा परीक्षा)।  
[Placed in Library, See No. LT 6539/16/17]
- (पाँच) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप के कार्यकरण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 36) (निष्पादन लेखा परीक्षा)-(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।  
[Placed in Library, See No. LT 6540/16/17]
- (छह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क)। (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 42) प्रोजेक्ट इम्पोर्ट्स के बारे में निष्पादन लेखा परीक्षा।  
[Placed in Library, See No. LT 6541/16/17]
- (सात) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैंटीन स्टोर्स विभाग के कार्यकरण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2016 का प्रतिवेदन संख्यांक 38) (निष्पादन लेखा परीक्षा)-(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।  
[Placed in Library, See No. LT 6542/16/17]
- (आठ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का संख्यांक 2)- (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष

कर)।

[Placed in Library, See No. LT 6543/16/17]

(नौ) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा भारत-चीन सीमा सड़कों के विनिर्माण के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 5)- (निष्पादन लेखा परीक्षा)-(रक्षा सेवाएं-थल सेना)।

[Placed in Library, See No. LT 6544/16/17]

(दस) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 4)- टीडीएस/टीसीएस स्कीमों का लागू किया जाना, राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर।

[Placed in Library, See No. LT 6545/16/17]

(ग्यारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का संख्यांक 3)- (राजस्व विभाग) (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)।

[Placed in Library, See No. LT 6546/16/17]

(बारह) मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (2017 का प्रतिवेदन संख्यांक 39)- पर्यावरणीय निर्बाधन तथा निर्बाधन-पश्चात् निगरानी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बारे में निष्पादन लेखा परीक्षा।

[Placed in Library, See No. LT 6547/16/17]

(7) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) वर्ष 2015-2016 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग एक-समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2015-2016 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग दो-विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2015-2016 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग दो-विस्तृत विनियोग लेखे) (संतुलनक-छ)।

[Placed in Library, See No. LT 6548/16/17]

**महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 110 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6549/16/17]

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उपधारा (3) के अंतर्गत संपूरक पोषण (एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत) नियम, 2017 जो 20 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6550/16/17]

HON. DEPUTY-SPEAKER: SI. No. 7. Dr. Subhash Ramrao Bhamre.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, what is going on? The Hon. Minister is not present to lay his papers in the House...(Interruptions)

HON. DEPUTY-SPEAKER: No. He is here and is laying his papers.

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 347 of the Cantonments Act, 2006:-

- (i) The Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 2016 published in Notification No. S.R.O.14(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> December, 2016.
- (ii) The Transfer of Property in Cantonments (Form of notice and manner of giving such notice) Rules, 2016 published in Notification No. S.R.O.15(E) in Gazette of India dated 30<sup>th</sup> December, 2016.
- (iii) The Cantonments (Forms and Manner of Service of Notices) Rules, 2017 published in Notification No. S.R.O.2(E) in Gazette of India dated 24<sup>th</sup> January, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 6551/16/17]